इस्लाम धर्म
(Islam Dharma)

सन् 1991 की जनगणनानुसार भारत में मुसलमानों की कुल जनसंख्या 9.52 करोड़ है तथा भारत की कुल जनसंख्या का 11.67 प्रतिशत भाग इस्लाम धर्म को मानने वालों का है। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब हैं। इनका परिचय इस प्रकार है—

मोहम्मद साहब की जीवनी (Biography of Mohammad Sahib)

भारत में इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव तेरहवीं शताब्दी से माना जाता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म अरब के मक्का नगर में सन् 570 ई. में हुआ। ये दरिद्र परिवार में जन्मे थे। बचपन में ही इनके माता-पिता का देहावसान हो गया था। युवावस्था में वे व्यापार द्वारा जीविकोपार्जन करते रहे और मक्का में अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हो गए। दरिद्रता के कारण इन्होंने कोई शिक्षा नहीं पाई थी किन्तु विचारशील होने के कारण वे अरब के प्रचलित धर्म से असन्तुष्ट होने लगे। आध्यात्मिक चिन्तन करते हुए धीरे-धीरे इन्होंने अद्भुत चेतना प्राप्त की और यह अनुभव किया कि परमात्मा की ओर से उन्हें अपने नवीन धार्मिक सन्देशों को जनसाधारण तक पहुँचाने का आदेश मिला है। समय-समय पर वे समाधिस्थ हो जाते थे और ईश्वर की प्रेरणा से वे जो कुछ कहते थे, लोग उन्हें याद कर लेते थे। यही कथन संगृहीत रूप में मुसलमानों के धार्मिक ग्रन्थ 'कुरान शरीफ' बन गए। इस ग्रन्थ में सच्चे धर्म की एक नई परिभाषा निहित है। यही 'इस्लाम' या 'शान्ति का मार्ग' कहलाती है। मक्का वालों ने इस नए धर्म को मानने में बड़ी आपत्ति की। मक्का वाले हज़रत मोहम्मद और उनके थोड़े-से अनुयायियों को बहुत सताते रहे। अन्त में मदीना वालों के निमन्त्रण पर मोहम्मद साहब 24 सितम्बर सन् 622 ई. में मक्का छोड़कर मदीना चले गए। यही तिथि 'हिजरत' कहलाती है और इस्लामी संवत् या हिजरी संवत् इसी घटना से प्रारम्भ होता है।

मदीना में मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया तथा अपने विरोधियों का दृढ़ता से मुकाबला किया। इस्लाम धर्म के प्रमुख दो ग्रन्थ हैं— (1) कुरान, तथा (2) हदीस। 'कुरान' में वह ज्ञान संगृहीत है जो ईश्वर ने अपने दूत मोहम्मद साहब को दिया और 'हदीस' में स्वयं मोहम्मद साहब द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है। इस्लाम धर्म के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके पवित्र ग्रन्थ 'कुरान' को जानना आवश्यक है। इस्लाम धर्म के अनुयायियों का धार्मिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन इसी कुरान पर ही आधारित है।

कुरान
(Quaan)

इस्लाम धर्म के अनुसार मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल (पैगम्बर) हैं। कुरान में वह सम्पूर्ण ज्ञान संगृहीत है जो अल्लाह ने पथभ्रष्ट मानवता को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए

मोहम्मद साहब को दिया था। 'कुरान' शब्द की व्युत्पत्ति 'करयान' से हुई है जिसका अर्थ 'पाठ करना' है। इस्लाम धर्म के अनुयायी कुरान की आयतों का प्रतिदिन पाठ करते हैं। कुरान में जो कुछ लिखित है वह अल्लाह के आदेश से 'जिब्रील' नामक देवदूत ने पैगम्बर मोहम्मद को सुनाया और मोहम्मद ने 'कुरान' के रूप में उसे जनसाधारण के समक्ष प्रस्तुत किया।

कुरान में कुल 114 अध्याय हैं जिनमें से 90 का संग्रह मक्का में तथा शेष 24 का संग्रह मदीना में किया गया। ऐसी मान्यता है कि कुरान की मूल बातें तख्तियों पर लिखी हुई हैं और सातवें आसमान पर रखी हुई हैं।

इस्लाम के अनुयायी कुरान के प्रति विशेष श्रद्धा, सम्मान तथा आदर का भाव रखते हैं। इनकी मान्यता है कि कुरान का प्रत्येक शब्द ईश्वर द्वारा उच्चारित है। कुरान को वे सार्वभौमिक एवं शाश्वत सत्य के रूप में स्वीकारते हैं।

कुरान में अल्लाह और उसके द्वारा पृथ्वी तथा मानव की रचना, कयामत का दिन, नजात (मुक्ति), सामाजिक कर्त्तव्य, मानव-कर्त्तव्य, अच्छे-बुरे आचरण एवं दण्ड आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इस्लाम के अनुयायियों की मान्यता है कि कुरान में लिखे गए सभी सत्य सम्पूर्ण मानव-जाति के कल्याण के लिए हैं।

इस्लाम धर्म के अंग
(Aspect of Islam Religion)

कुरान में इस्लाम के तीन अंगों का उल्लेख किया गया है। वे इस प्रकार हैं—

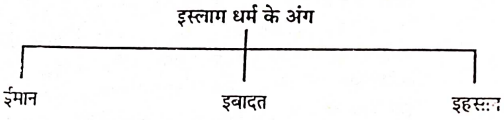

1. ईमान—इस्लाम में अल्लाह को ही एकमात्र ईश्वर माना गया है और पैगम्बरों के माध्यम से ही वह अपनी बात लोगों तक पहुँचाता है। ईमान का अर्थ अपने धर्म में विश्वास करना है। इस्लाम के अन्तर्गत इस्लाम के अनुयायियों को कयामत के बाद रोजेशुमार के दिन (निर्णय का दिन) में विश्वास करना भी सम्मिलित है। इस दिन अल्लाह लोगों को उनके अच्छे-बुरे कार्यों के अनुसार जन्नत अथवा जहन्नुम में भेजेगा। इस प्रकार ईमान का अर्थ अल्लाह, उसके पैगम्बरों और कयामत के दिन में विश्वास करना है।

2. इबादत—इबादत के अन्तर्गत 5 धार्मिक क्रियाओं को सम्पन्न करना सम्मिलित है—कलमा पढ़ना, नमाज, रोजा, जकात और हज। (1) प्रत्येक मुसलमान का यह कर्त्तव्य है कि वह 'ला इलाह इल्लिल्लाह मुहम्मदुर्रसूलिल्लाह' (अर्थात् ईश्वर एक है और मोहम्मद उसके दूत हैं) इस कलमे का प्रतिदिन जाप करे। (2) प्रत्येक मुसलमान को चाहिए कि वह मक्का की ओर मुँह करके दिन में पाँच बार नमाज पढ़े तथा शुक्रवार को सार्वजनिक नमाज में भाग ले। (3) प्रत्येक मुसलमान को रमजान के महीने में रोजे रखने चाहिए और सूर्यास्त के उपरान्त ही भोजन करना चाहिए। (4) प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवनकाल में एक बार मक्का और मदीना की यात्रा करनी चाहिए जिसे 'हज' कहा जाता है। (5) प्रत्येक मुसलमान को अपनी आय का चालीसवाँ भाग जकात (दान) में देना चाहिए।

3. इहसान—इहसान में बताया गया है कि एक सच्चे मुसलमान को चाहिए कि वह अपने-आपको खुदा के प्रति समर्पित कर दे। उसे कुरान में बताए गए कार्यों को करना चाहिए। वैयक्तिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर एवं राजनैतिक स्तर पर कुरान के आदेशानुसार कार्यों का निर्वाह करना चाहिए। बुरे कार्यों से स्वयं को दूर रखना चाहिए। विज्ञान, ज्योतिष आदि किसी विद्या का विकास इस प्रकार से हो कि वह नमाज व रोजे के विपरीत न हो, साथ ही अल्लाह के प्रति समर्पण में भी बाधक न हो। इस प्रकार इहसान व्यक्ति को कुरान में वर्णित नैतिक आचारों को पूरा करने और उनमें किसी प्रकार का सन्देह न करने का आदेश देता है।

इस प्रकार इस्लाम धर्म अत्यन्त सरल है। उसके अनुसार जगत् का कर्ता केवल ईश्वर है जिसका कोई साथी-सम्बन्धी नहीं है। सब जीव उसके बन्दे हैं। उन्हें केवल इस एक 'पाक परवरदिगार की बन्दगी', 'पूजार्चा' करनी चाहिए। उसकी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती। उसके साथ मनुष्य का सीधा सम्बन्ध प्रार्थना आदि से जोड़ा जा सकता है। बन्दगी उसकी शर्त है। उसके लिए किसी पण्डे-पुरोहित की सहायता की आवश्यकता नहीं। उसकी मूर्ति बनाकर पूजना पाप है। हजरत मोहम्मद उसके 'पैगम्बर' हैं। ऐसे पैगम्बर पहले भी अनेक हुए हैं। मोहम्मद अन्तिम पैगम्बर हैं और अब केवल 'कयामत' के पहले एक 'मेहदी' होगा। इस एकमात्र सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी निराकार परमात्मा और उसके अन्तिम पैगम्बर मोहम्मद में विश्वास होना इस्लाम का आधारभूत सिद्धान्त है।

कुरान शरीफ में इस्लाम धर्म के सब सिद्धान्त दिए गए हैं। इन उपर्युक्त सिद्धान्तों के अतिरिक्त 5 औपचारिक सिद्धान्त—कलमा पढ़ना, नमाज, रोजा, जकात और हज हैं जिनका वर्णन 'इबादत' के अन्तर्गत किया जा चुका है।

इस प्रकार इस्लाम धर्म के अनुसार सब मुस्लिम एक समान और भाई-भाई हैं। प्रत्येक मुस्लिम का सभी अग्रदर्ती संदेशदाताओं, पवित्र धर्मग्रंथों, देवताओं या फरिश्तों, स्वर्ग (जन्नत), नर्क (दोजख), कयामत (प्रलय) के दिवस में ईमान लाना अर्थात् विश्वास करना अनिवार्य कर्त्तव्य है।

इस्लाम धर्म की मौलिक विशेषताएँ
(Basic Characteristics of Islam)

इस्लाम धर्म की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

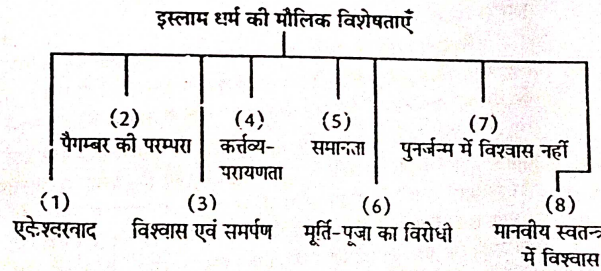

(6) शिया सम्प्रदाय कालान्तर में 5 भागों में बँट गया। सुन्नी सम्प्रदाय आगे चलकर 4 भागों में विभाजित हो गया।

इन दो सम्प्रदायों के अतिरिक्त एक नया सम्प्रदाय 'सूफी मत' उत्पन्न हुआ जो इस्लाम के सिद्धान्तों को स्वीकार करता है।

'सूफी मत' (Sufi Sect)—कुछ सूफी लोगों के अनुसार 'सूफी मत' का प्रथम प्रचारक हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है और कुछ लोग इसके मौलिक सिद्धान्तों का 'कुरान शरीफ' में अभाव पाकर इसके प्रचार का श्रेय अली या किसी ऐसे महापुरुष को देते हैं जो पैगम्बर का साथी रह चुका हो। बहुत से कट्टर मुसलमान 'कुरान शरीफ' में इस सिद्धान्त के अभाव के कारण इसे विधर्मियों का मत मानकर इसकी निन्दा करते हैं। कुछ के अनुसार 'सूफी' शब्द मोहम्मद साहब के देहान्त के दो सौ वर्षों बाद सत्ता में आया प्रतीत होता है। 'सूफी' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 869 ई. में बसरा (अरब) निवासी जिहाम द्वारा किया गया था। कुछ विद्वान इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 800 ई. पूर्व कूफा के अबू हाशिम के लिए हुआ मानते हैं। अनेक विद्वान् सूफी मत को इस्लाम से उत्पन्न मानते हैं।

सूफी धर्म में प्रेम पर बहुत महत्त्व दिया जाता है तथा मानवतावाद और अहिंसा को भी यह मत अत्यधिक मान्यता देता है। सूफी लोग ईश्वर को मानते हैं। इनके अनुसार ईश्वर को 'प्रियतमा' के रूप में माना जाता है जिसकी खोज में आत्मा-रूपी प्रियतम समस्त सांसारिक सुखों का त्याग करके चला जाता है। साधक को अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 'इश्क' रूपी मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। इनका मानना है कि ईश्वर अमर सौन्दर्य है जिसकी प्राप्ति प्रेम-संगीत से की जा सकती है अत: सूफी मत में सौन्दर्य और संगीत को अधिक महत्त्व दिया जाता है। सूफी लोग लौकिक प्रेम में पड़कर ईश्वरीय प्रेम (इश्क-ए-खुदा) का अनुभव और तसव्वुर एवं सौन्दर्य-पूजा (हुस्नपरस्ती) में ईश्वर के सौन्दर्य (अल्लाह के जमाल) का साक्षात्कार करते हैं। सूफियों के मत में ईश्वर निर्गुण है।

सूफी मत के प्रमुख सिद्धान्त इस प्रकार हैं—

(1) सूफी धर्म में गुरु का अत्यधिक महत्त्व है। इस अन्धकारमय संसार से अभीष्ट लक्ष्य तक पहुँचाने का कार्य ईश्वर ही करता है। अत: ईश्वर पथ-प्रदर्शक है जो अपने ज्ञानदीप से शिष्य को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है।

(2) ईश्वर एक है अत: उसकी एकता में अटूट विश्वास करना चाहिए। सूफी मत 'अद्वैत' की भावना को मानता है।

(3) ईश्वर सौन्दर्यमय है तथा प्रेम (इश्क) द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है।

(4) हृदय एक शीशे के समान है जिसमें ईश्वर की प्रतिच्छाया दिखाई पड़ती है। सांसारिक प्रलोभनों से दूर रहकर ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है।

(5) मनुष्य एक श्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य की आत्मा उसके शरीर से भिन्न है। वह (आत्मा) बुरे कर्मों से प्रभावित हो जाती है किन्तु उसकी प्रवृत्ति उसे अच्छे रास्ते की ओर अग्रसर करती है।

(6) यदि मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो उसकी मृत्यु उसे ईश्वर के समीप ले जायेगी। अत: साधक को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए क्योंकि 'स्वर्ग' और 'नरक' ईश्वर की 'समीपता' और 'दूरी' के प्रतीक हैं।

इस प्रकार सूफी मत प्रभावशील सिद्धान्तों पर आधारित धर्म है। इराक के साथ-साथ इसका भारत में भी अत्यधिक प्रचार-प्रसार हुआ। यह धर्म एक ओर कुरान की शिक्षाओं पर आधारित है तो दूसरी ओर वेदान्त के प्रभाव की छाप भी इस पर स्पष्ट दिखाई देती है। अत: इसे हिन्दू और मुस्लिम विचारों का सम्मिश्रण कहा जा सकता है।

भारतीय समाज पर इस्लाम का प्रभाव
(Impact of Islam on Indian Society)

योगेन्द्र सिंह के अनुसार भारतीय समाज पर इस्लाम धर्म के प्रभावों को तीन चरणों में बाँट कर देखा जा सकता है—(1) प्रथम, भारत में इस्लाम शासन की अवधि का चरण, (2) द्वितीय-चरण का का प्रारम्भ तब हुआ जब ब्रिटानिया शासन स्थापित हो गया और (3) तीसरा चरण भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का प्रारम्भ एवं देश का बँटवारा तथा राजनैतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति का काल। प्रथम चरण की अवधि जो 1206 ई. से 1818 ई. रही, सबसे दीर्घ थी।[10] सूफी परम्परा की भारत में इस्लाम धर्म को फैलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।[11]

भारतीय समाज पर इस्लाम के प्रभाव को निम्न रूपों में देखा जा सकता है—

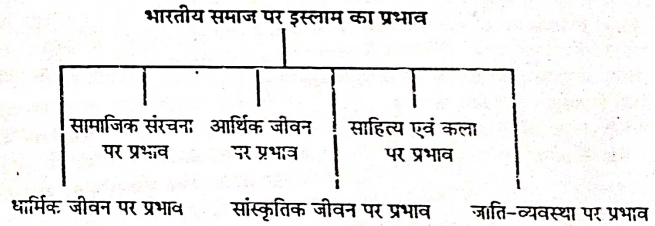

1. धार्मिक जीवन पर प्रभाव (Impact on Religious Life)[12]—भारत के साथ इस्लाम के सम्पर्क की अवधि लगभग 1000 वर्ष पुरानी है।[13] इस्लाम धर्म एक ही ईश्वर में विश्वास करता है। इस्लाम व सूफी मत के प्रभाव के कारण हिन्दुओं में भी अद्वैतवाद एवं एकेश्वरवाद का आरम्भ हुआ। सूफियों के कर्मकाण्ड के विरोध के कारण हिन्दू समाज में भी सुधारवादी आन्दोलनों का जन्म हुआ जिसने धार्मिक अन्धविश्वास व कर्मकाण्डों को दूर करने का प्रयास किया। सब धर्मों की समानता और ईश्वर की एकता पर बल दिया जाने लगा। कई हिन्दू धार्मिक सम्प्रदायों में मूर्ति पूजा का भी विरोध हुआ। कबीर के धार्मिक आन्दोलन तथा गुरु नानक के सिख धर्म पर मुस्लिम धर्म का प्रभाव पड़ा। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद को इस्लाम व सूफी धर्म से ही ग्रहण किया।

---

10 Yogendra Singh, Modernization of Indian Tradition, pp. 66-84.
11 Ibid., p. 69.
12 Ibid., p. 73.
13 Ibid., p. 66.

1. एकेश्वरवाद—इस्लाम धर्म एक ही ईश्वर को मानता है। अरब में पहले बहुदेववाद प्रचलित था। मोहम्मद साहब बहुदेववाद के स्थान पर एक ही ईश्वर में विश्वास करने के समर्थक रहे। उनका मानना है कि दुनियाँ में बस एक अल्लाह है, अन्य कोई शक्ति नहीं है, वह अपनी मर्जी से जैसा चाहता है, करता है; यहाँ तक कि शैतानी ताकतें भी उसी की मर्जी से अपना प्रभाव दिखाती हैं। अल्लाह ही कयामत के बाद रोजेशुमार (निर्णय) के दिन लोगों के अच्छे अथवा बुरे कार्य का निर्धारण करेगा और उसी के अनुसार उन्हें स्वर्ग अथवा नरक में भेजेगा, ऐसी इस्लाम धर्म की मान्यता है।

2. पैगम्बर की परम्परा—जैसाकि ऊपर की पंक्तियों में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इस्लाम धर्म एकेश्वरवाद में विश्वास रखता है, वही ईश्वर मार्ग से विभ्रमित मानवता को सही मार्ग दिखाने के लिए समय-समय पर पैगम्बर भेजता रहता है। इन पैगम्बरों में मोहम्मद साहब अन्तिम पैगम्बर हैं। पैगम्बर संदेशवाहक अथवा दूत के रूप में होता है। मोहम्मद साहब भी अल्लाह का पैगाम पृथ्वी पर लाए थे अतः वे भी पैगम्बर हैं। मोहम्मद साहब ने परमात्मा और मनुष्यों के बीच धर्मदूत (रसूल) का कार्य किया था, इसलिए वे रसूल के नाम से भी जाने जाते हैं।

3. विश्वास एवं समर्पण—इस्लाम धर्म अपने अनुयायियों को पवित्र ग्रन्थ कुरान में विश्वास करने का आदेश देता है और उसमें लिखित उपदेशों पर तर्क की अनुमति नहीं देता क्योंकि धर्म में तर्क का कोई स्थान नहीं है। विश्वास सभी धर्मों का मूलतन्त्र है; कुरान की आयतों (आदेशों) की अवहेलना व अवज्ञा करने वालों को काफ़िर कहा जाता है। इस्लाम में ईश्वर के प्रति समर्पण की बात भी कही गई है। अल्लाह की इच्छा का पालन करने से परमानन्द की प्राप्ति होती है। जो लोग अल्लाह की इच्छाओं को भुला देते हैं अथवा 'कुरान शरीफ़' में विश्वास नहीं करते वे दण्ड के भागी होते हैं। इस प्रकार इस्लाम धर्म विश्वास और समर्पण को महत्त्वपूर्ण मानता है।

4. कर्त्तव्यपरायणता—'कुरान शरीफ' इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए एक आचरण संहिता है। कुरान में लिखे आदेशों व निर्देशों को स्वीकार करना, उन पर विश्वास करना और तदनुसार आचरण करना प्रत्येक मुसलमान का परम कर्त्तव्य है यहाँ तक कि कुरान में विश्वास रखने वाले व उसे मानने वालों को भी मुसलमान कहा जाता है। कुरान में प्रत्येक मुसलमान को पाँच धार्मिक कार्यों को करने का आदेश है—कलमा पढ़ना, रोजे रखना, नमाज पढ़ना, जकात देना एवं हज करना। कर्त्तव्यों की महानता इस्लाम धर्म का मुख्य आदर्श है।

5. समानता—इस्लाम में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त हैं। फिर भी इसमें जन्म, लिंग, आयु, जाति, व्यवसाय आदि आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इस प्रकार इस्लाम धर्म समानता के सिद्धान्त पर आधारित है।

6. मूर्ति-पूजा का विरोध—इस्लाम धर्म में मूर्ति की पूजा नहीं की जाती वरन् निराकार ईश्वर की मान्यता इस धर्म की विशेषता है। यह धर्म मूर्ति-पूजा का कट्टर विरोधी है।

7. पुनर्जन्म में विश्वास नहीं—हिन्दुओं में पुनर्जन्म की कल्पना की गई है किन्तु इस्लाम धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है वरन् इस धर्म की मान्यता है कि कयामत के

बाद रोजेशुमार के दिन खुदा मृत प्राणियों के अच्छे-बुरे कर्मों का हिसाब करेगा तथा उसी के अनुसार उन्हें स्वर्ग अथवा नर्क देगा।

8. मानवीय स्वतन्त्रता में अविश्वास—इस्लाम धर्म मानवीय स्वतन्त्रता का विरोधी है। उसका मानना है कि मनुष्य पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा के अधीन है। कुरान में लिखित अस्पष्ट और अनिश्चित उपदेशों की स्थिति में पैगम्बर के उपदेश, आचरण व व्यवहार आदि मान्य हैं—ऐसा इस्लाम धर्म में माना गया है लेकिन मनुष्य को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।

इस्लाम के सम्प्रदाय
(Sects of Islam)

मोहम्मद साहब की मृत्यु के उपरान्त इस्लाम धर्म के धार्मिक एवं राजनैतिक नेता के चुनाव का प्रश्न उपस्थित हुआ कि किस व्यक्ति को नेतृत्व प्रदान किया जाए? इस बात को लेकर इस्लाम के अनुयायियों में दो समूह बन गए। एक समूह ने मोहम्मद साहब के चचेरे भाई और दामाद 'अली' को इस्लाम का मुखिया माना। उनका कहना था कि मोहम्मद साहब ने अपनी मृत्यु से पूर्व इस बात का संकेत दिया था कि अली को ही उनकी मृत्यु के उपरान्त मुखिया माना जाए—यह सम्प्रदाय अन्त में चलकर 'शिया' कहलाया।

दूसरे समूह ने अली को मुखिया मानने से इन्कार कर दिया। इस समूह के लोगों का तर्क था कि मुखिया का चयन सभी की सहमति से किया जाना चाहिए। इस सम्प्रदाय को मानने वाले लोग 'सुन्नी' कहलाए। इस प्रकार इस्लाम धर्म के प्रमुखतः दो सम्प्रदाय हैं—(1) शिया (2) सुन्नी। दोनों की उत्पत्ति का स्रोत एक ही है किन्तु दोनों सम्प्रदायों की विचारधाराओं में वर्तमान में अनेक विभेद विद्यमान हैं, उदाहरणार्थ—

(1) शिया लोगों के अनुसार इमाम या खलीफा की नियुक्ति केवल अली के वंशजों में से ही की जानी चाहिए क्योंकि वे ही मोहम्मद साहब के वास्तविक वारिस हैं। सुन्नी लोगों का मत है कि इमाम का चयन एक जन-समिति द्वारा होना चाहिए न कि वंशानुगत तरीके से।

(2) शिया लोगों के अनुसार इमाम या खलीफा केवल आध्यात्मिक नेता है, राज्य से उसका कोई सम्बन्ध नहीं, क्योंकि धर्म और राज्य, अलग-अलग हैं। सुन्नी लोगों का मत है कि इमाम धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार का मुखिया है, वह धर्म और राज्य दोनों का संरक्षक है क्योंकि धर्म और राज्य परस्पर सम्बन्धित हैं अलग-अलग नहीं।

(3) 'शिया' मत वाले एक समय में कई इमामों को स्वीकार करते हैं सुन्नी मत वाले सम्पूर्ण विश्व के एक ही इमाम को स्वीकार करते हैं।

(4) 'शिया' लोगों का मानना है कि इमाम ने यदि कोई गलत कार्य किया है जिसके कारण वह अपराधी है तो इस्लाम पर विश्वास करने वालों की प्रार्थना अवैधानिक होगी। 'सुन्नी' लोगों के मत में इमाम के अपराधों का प्रभाव जनता की प्रार्थना पर नहीं पड़ेगा।

(5) 'शिया' लोग कुरान पर बहस करने की स्वतन्त्रता को स्वीकार करते हैं, शिया लोग अस्थाई विवाह को भी स्वीकार करते हैं। 'सुन्नी' लोग कुरान पर किसी प्रकार की बहस को स्वीकार नहीं करते साथ ही विवाह के स्थायित्व में विश्वास करते हैं।

हिन्दुओं के भक्ति आन्दोलनों पर भी इस्लाम का प्रभाव पड़ा। इस प्रकार मूर्तिपूजा का विरोध, एकेश्वरवाद, अद्वैतवाद, छुआछूत व जाति प्रथा की समाप्ति, समानतावादी आदर्श व सुधारवादी आन्दोलनों का जन्म आदि इस्लाम के प्रभाव के ही परिणाम हैं।

2. **सामाजिक संरचना पर प्रभाव** (Impact on Social Structure)—हिन्दुओं की सामाजिक संरचना पर मुस्लिम धर्म एवं संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। परिवार, विवाह व स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आदि मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित माने जा सकते हैं, जैसे—हिन्दुओं में विधवा-विवाह व बाल-विवाह की परम्परा मुसलमानों से अपनी लड़कियों के सतीत्व की रक्षा के कारण ही प्रारम्भ हुई। मुसलमानों से सुरक्षा की दृष्टि से ही पर्दा-प्रथा का प्रचलन हिन्दुओं में हुआ तथा उनकी स्वतन्त्रता पर भी रोक लगा दी गई। स्त्रियों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। सती-प्रथा का कठोरता से पालन होने लगा और अन्तर्विवाह तथा कुलीन-विवाह के नियमों ने विवाह के दायरे को संकुचित कर दिया। हिन्दुओं के संयुक्त-परिवार के सिद्धान्त में भी कठोर एकतन्त्र पनपने लगा।

3. **आर्थिक जीवन पर प्रभाव** (Impact on Economic Life)—मुसलमानों के भारत में आगमन के पूर्व प्रत्येक गाँव की अपनी भूमि होती थी और गाँव एक स्वतंत्र इकाई के रूप में था। मुसलमानों के शासनकाल में अस्थाई भूमि व्यवस्था का जन्म हुआ, मालगुजारी प्रथा की उत्पत्ति हुई, ग्राम पंचायत महत्त्वहीन होने लगी। गाँवों का शोषण किया जाने लगा। भारत में दास-प्रथा का प्रारम्भ भी मुसलमानों से हुआ। दासों से बेगार कराई जाने लगी। अनेक भव्य इमारतें बेगार के द्वारा ही बनने लगीं। किन्तु मुसलमानों के सम्पर्क से भारतीय कुटीर उद्योग पुनर्जीवित हुए। सूती व ऊनी वस्त्रों का निर्माण, रंगाई, छपाई, दस्तकारी उद्योग आदि अनेक क्षेत्रों में प्रगति हुई। मुस्लिम शासकों ने विदेश व्यापार को बढ़ावा दिया। अनेक विलासिता आदि की वस्तुएँ विदेशों से आयात होने लगीं तथा बदले में सूती-रेशमी वस्त्र, अफीम, नील, जस्ता आदि विदेशों को निर्यात किए जाने लगे।

4. **सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव** (Impact on Cultural Life)[14]—हिन्दुओं के सांस्कृतिक जीवन पर भी मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव पड़ा। हिन्दुओं ने मुसलमानों की वेशभूषा, आचार-व्यवहार, भोजन आदि को अपनाया, जैसे—हिन्दू; अचकनें व चूड़ीदार पाजामा, शेरवानी, कुर्ता आदि पहिनने लगे। हिन्दू विवाह में भी अचकन-शेरवानी की पोशाक हो गई। मुसलमानों के प्रभाव से भोजन में माँस, मछली, अण्डा आदि का प्रचलन बढ़ा। कुछ मिठाइयाँ—जलेबी, इमरती, बालूशाही आदि भी हिन्दुओं ने अपनाई। सम्मान, शिष्टाचार, अभिवादन के तरीके, भाषा की विनम्रता आदि मुसलमानों की संस्कृति हिन्दुओं ने आत्मसात् की। सार्वजनिक शिक्षण संस्थाएँ मस्जिदों में ही खोली जाने लगीं। इस तरह शिक्षण-संस्थाओं का विकास हुआ। इस प्रकार हिन्दुओं को मुस्लिम संस्कृति ने प्रभावित किया।

औजीज अहमद ने लिखा है, कि कुछ हिन्दू समुदायों जैसे, कायस्त, खत्री, कश्मीर के पण्डित और सिन्ध के अमिलों ने मुसलमान संस्कृति को अपनाया, मुस्लिम भाषा और साहित्य का विकास किया, मुस्लिम प्रशासन में प्रभावशाली रूप से सहभागिता की ओर

14 Ibid., p. 80.

उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन को मुस्लिम जीवन के तरीके जैसा डाला। धर्म के अतिरिक्त इस समुदाय के सदस्यों को मुश्किल से ही मुसलमानों से भिन्न किया जाना कठिन था। कुछ में तो मुस्लिम धार्मिक-सामाजिक रीति-रिवाजों जैसे हूसेन के स्मार्क पर मर्सिया भी लिखे। कुछ ने अर्ध-मुस्लिम नाम भी अपनाए। मुसलमानों के साथ अपने आत्म परिचय के लिए कुछ ने अपनी संस्कृति को एक सीमा तक त्याग भी दिया।[15]

5. **साहित्य एवं कला पर प्रभाव** (Impact on Art and Literature)—मुसलमानों की कला व साहित्य ने भी हिन्दुओं पर प्रभाव डाला। उर्दू भाषा के सम्पर्क से अरबी, फ़ारसी, तुर्की, उर्दू आदि शब्दों का बाहुल्य भारतीय भाषाओं में होने लगा। अनेक शब्द, जैसे—कमीज, पाजामा, कागज, गरीब, जिद, बाअदब, बेवफा आदि अब भारतीय भाषाओं के अंग बन गए हैं। अनेक ग्रन्थों की रचना मुस्लिम युग में हुई है। 'गीत गोविन्द', 'मिताक्षरा', 'शास्त्रदीपक' आदि कृतियों ने हिन्दी साहित्य को समृद्धि प्रदान की है।

स्थापत्य कला, चित्रकला व संगीत आदि का विकास मुस्लिम काल की देन है। ऊँची-ऊँची भव्य मीनारें, मेहराब, तहखाने व गुम्बज आदि मुस्लिम काल में ही बने। आगरा का ताजमहल जैसी अद्वितीय रचना आज भी मुसलमानों की गौरव-गरिमा को सुशोभित कर रही है। हिन्दुओं ने अनेक क्षेत्रों में मुसलमानों से शिक्षा प्राप्त की है। हिन्दू मन्दिरों में गुम्बजों का प्रयोग मुसलमानों की कला का ही प्रभाव है। कला की दृष्टि से देखा जाए तो पशु-पक्षियों, वृक्षों, लताओं, पुष्पों आदि की सजीव चित्रकारी, सुनहरे-रूपहले रंगों से सज्जा मुस्लिम संस्कृति की देन है। भक्ति आन्दोलनों के परिणामस्वरूप ईश्वर-भक्ति के भजन, कीर्तन आदि का प्रचलन बढ़ा। विभिन्न प्रकार की रागें, कव्वाली, तराना, गजल तथा अनेक वाद्ययन्त्र जैसे—तबला, सितार आदि, ठुमरी-खानगिरी आदि रागें, चारताल, साझुफरा, आडा, सूलफाक आदि तालें मुस्लिम कला की ही देन हैं। अकबर के दरबार में तानसेन ने मियाँ मल्हार, मियाँ की सारंग आदि रागों की रचना की। ध्रुपद शैली, विलम्बित ख्याल, ठुमरी आदि की रचना मुस्लिम काल की ही देन है। इस प्रकार साहित्य एवं कला के क्षेत्र में हिन्दुओं को मुसलमानों ने अनेकानेक प्रकार से प्रभावित किया।

6. **जाति-व्यवस्था पर प्रभाव** (Impact on Caste-System)—मुसलमानों ने हिन्दुओं की जाति-व्यवस्था को भी प्रभावित किया। कुछ हिन्दू जातियाँ, जिन्हें मुस्लिम शासकों का संरक्षण मिला हुआ था, ऊँची व प्रतिष्ठित बन गई इससे ब्राह्मणों की सामाजिक प्रतिष्ठा डगमगा गई। उन्होंने जातीय नियमों में कठोरता लाने का प्रयास किया जिससे निम्न जातियों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया जिसके फलस्वरूप अनेक उपजातियों का निर्माण हो गया। इस प्रकार इस्लाम धर्म ने हिन्दुओं की जाति-व्यवस्था को भी प्रभावित किया।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि हिन्दुओं पर इस्लाम धर्म का अनेक क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा है। दूसरी ओर हिन्दू समाज व हिन्दू परम्परा की अनेक बातों को मुसलमानों ने भी स्वीकार किया। इसी कारण वे साधारण जनता में घुलमिल गए। हृदय की पवित्रता, बाह्य आचरण की शुद्धता, ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा, विश्व-बन्धुत्व व विश्व-प्रेम आदि की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट कर उन्हें स्वीकार करने का आग्रह भी वे करते थे। इस प्रकार अनेक रूपों में दोनों परस्पर प्रभावित हुए हैं।

15 Aziz Ahmad, Studies in Islamic Culture in the indian Enviornment, Ch. IV, p. 105.